GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF EXPENDITURE

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION No. 4851

TO BE ANSWERED ON MONDAY, MARCH 23, 2026
CHAITRA 02, 1948 (SAKA)

“8th Central Pay Commission (CPC)”

4851. Shri Raja A:

Will the Minister of FINANCE

be pleased to state:

(a) whether Chairperson and members have been appointed for the 8th Central Pay Commission (CPC) and if so, the current status thereof;

(b) the key areas under review by the said CPC, including proposed changes in the pay scales, salaries/allowances and pension structures;

(c) the timeline proposed for submission of the CPC report along with the Government's roadmap for implementation of its recommendations; and

(d) whether the Government has made any assessment of the fiscal impact of implementing the CPC recommendations on the Union Budget, if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)

(a) to (c): The Government has notified Resolution dated 03.11.2025 for constitution of 8th Central Pay Commission (CPC), along with appointment of the Chairperson and Members, that will make its recommendations on various issues viz. Pay, Allowances, Pension, etc. of the Central Government employees within 18 months of its constitution.

(d): The fiscal impact of the recommendations of 8th CPC will be known, once the recommendations are made by the 8th CPC and are accepted by the Government.

****

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 4851

सोमवार, 23 मार्च, 2026/02 चैत्र, 1948 (शक)

8वां केन्द्रीय वेतन आयोग

4851. श्री ए. राजा:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) वेतनमान, वेतन/भत्ते और पेंशन ढांचों में प्रस्तावित बदलावों सहित उक्त वेतन आयोग द्वारा किन-किन प्रमुख क्षेत्रों की समीक्षा की जा रही है;

(ग) सीपीसी संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावित समय-सीमा क्या है और इसकी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए सरकार की रूपरेखा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने सीपीसी की सिफारिशों को लागू करने के केन्द्रीय बजट के संबंध में राजकोषीय प्रभाव का कोई आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): सरकार ने अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के साथ 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के गठन के लिए दिनांक 03.11.2025 के संकल्प को अधिसूचित किया है, जो अपने गठन के 18 महीने के भीतर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

(घ): 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के राजकोषीय प्रभाव के संबंध में तब ही ज्ञात हो पाएगा, जब 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें की जाएंगी और सरकार द्वारा इन्हें स्वीकार कर लिया जाएगा।

****